न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 246/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खैराजराम पुत्र स्व0 चौथाराम 2– घमाराम पुत्र स्व0 चौथाराम 3– मूलाराम पुत्र स्व0 चौथाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम घेवडा तहसील तिवंरी जिला जोधपुर		1– भगवानाराम पुत्र स्व0 मोडाराम 2– उम्मेदाराम पुत्र स्व0 मोडाराम 3– लक्ष्मणराम पुत्र स्व0 हरजीराम 4– पुखराज पुत्र स्व0 हरजीराम 5– झीमो पुत्री स्व0 दीपाराम 6– टीपू पुत्री स्व0 दीपाराम 7– नारायणराम दत्तक पुत्र स्व0 दीपाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम घेवडा तहसील तिवरी जिला जोधपुर 8– तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–85 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/85 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री प्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 9–5–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घेवडा तहसील ओसियां मे अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की वक्त सेटलमेंट से पुश्तैनी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 128, 185, 231, 127, 126, 118 कुल 105 बीघा 11 बिस्वा आई हुई थी । जिसमे अपीलांटगण के पिता चौथाराम पुत्र हेमाराम का 1/2 हिस्सा तथा मोडाराम, हरजीराम, दीपाराम पि0 मल्लूराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था और मौके पर भी वक्त सेटलमेंट के रिकार्ड अनुसार चौथाराम तथा मल्लूराम के वारिसान काबिज चले आ रहे है। परंतु मल्लूराम के वारिसान ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर चौथाराम के हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज करवा दिया तथा राजस्व अधिकारियो कर्मचारियो तथा मल्लूराम के वारिसान ने इस आदेश के साथ गलत कुर्सीनामा/वंशावली प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड को गैर कानूनी तरीके से 1/2 के स्थान पर 1/4 कर आलोच्य आदेश दिनांक 18–3–1985 के पारित करवा लिया जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस पेश की तथा उसके अनुसार मौखिक कथन भी किया । वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने

दिनांक 18–3–1985 मे अधीनस्थ न्यायालय मे गलत एवं फर्जी वंशावली/कुर्सीनामा प्रस्तुत कर अपीलांटगण के पिता चौथाराम पुत्र हेमाराम को चौथाराम पुत्र मल्लूराम बताकर राजस्व रेकर्ड मे हेराफेरी करवा दी जबकि चौथाराम मल्लूराम का पुत्र न होकर हेमाराम का पुत्र है तथा मल्लूराम व हेमाराम दोनो भाई थे तथा हेमाराम का पुत्र चौथाराम है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे षडयंत्रपूर्वक गलत तथ्य प्रकट करते हुए अपीलांटगण का हिस्सा जो वक्त सेटलमेंट से 1/2 दर्ज चला आ रहा था, को 1/4 हिस्सा दर्ज करवा दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, उसमे अपीलांटगण को बिना जानकारी मे लाये तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांटगण के खातेदारी को कम करने बाबत आदेश पारित कर दिया जो कानून की नजर मे शून्य होने के कारण निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि कानून की नजर मे जो शून्य आदेश हो तो ऐसे शून्य निर्णय को कभी भी किसी भी समय चेलेंज किया जा सकता है तथा ऐसे एब–इनिश्यो–वॉईड आदेश अपास्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने पिता चौथाराम के पिता का नाम हेमाराम होने की पुष्टि स्वरूप निर्वाचक नामावली वर्ष 1958 एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 1–1–66 मे चौथाराम के पिता का नाम हेमाराम दर्ज है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम पंचायत घेवडा पंचायत समिमि तिंवरी द्वारा मलूराम के वंशावली को प्रमाणित कर स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि मलूराम के तीन पुत्र मोडाराम, हरजीराम एवं दीपाराम थे जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे गलत वंशावली प्रस्तुत कर चौथाराम को मल्लूराम का पुत्र गलत रूप से दर्शाते हुए अपीलांटगण के खाते मे दर्ज भूमि को 1/2 से 1/4 दर्ज करवा दिया जो निर्णय शून्य होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है, वह माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सेटलमेंट के समय के रिकार्ड मे हुए इन्द्राजात का संशोधन को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही होने के बावजुद भी जो अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किया है, वह निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे सेटलमेंट के वक्त दर्ज रकबा अनुसार अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर फलोदी केम्प ओसियां के समक्ष वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 3 स्वयं एवं रेस्पो0 संख्या

1 से 7 के पिता मोडाराम, हरजीराम, दीपाराम ने ग्राम घेवडा राजस्व खाता नंबर 48 के तहत खातेदारी भूमि रकबा 105 बीघा 11 बिस्वा की सही हिस्सा कस्सी दर्ज करने विषय का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे बनाये गये कुर्सीनामें अनुसार अपीलाधीन भूमि का हिस्सा दर्ज करने की सहमति बाबत निवेदन किया तथा एक इकरारनामा रेकर्ड दुरस्ती का भी प्रस्तुत किया तथा उक्त इकरारनामा अपीलांट स्वयं ने किया है तथा उक्त इकरारनामे पर अपीलांटगण सभी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होने से पक्षकारो की सहमति से जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया था तथा अपीलाधीन आदेश की पालना मे तत्सयम ही रेवेन्यु रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुका था, तो इतने समय पश्चात उक्त आदेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण अब यदि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत सहमति पत्र एवं इकरारनामे के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर नही होने का कथन करते है तो इसके लिए अपीलांटगण को सिविल कोर्ट मे वाद पेश कर उक्त सहमति एवं इकरारनामे के दस्तावेज को निरस्त करवाना होगा । अंत मे वकील रेस्पो0 ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलांटगण द्वारा इस अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, राजस्व अभिलेखो तथा अपीलाधीन आदेश आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण खेराजराम, घमाराम, मूलाराम पि0 चौथाराम, मोडाराम, हरजीराम, दीपाराम पि0 मलूराम निवासी घेवडा की ओर से असिस्टेंट कलेक्टर फलोदी केम्प ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वंश परम्परा के अनुसार ग्राम घेवडा राजस्व खाता संख्या 48 के तहत खातेदारी भूमि 105.11 बीघा की सही हिस्सा कस्सी दर्ज करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ वंशावली प्रस्तुत करते हुए यह भी कथन किया कि वक्त सेटलमेंट से खेराजराम, घमाराम, मूलाराम पि0 चौथाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था परंतु 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के साथ अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण द्वारा एक सहमति पत्र भी इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–3–85 के द्वारा ग्राम घेवडा की खतौनी के खाता संख्या 48 मे मोडाराम 1/4, हरजीराम 1/4, दीपाराम 1/4 पि0 मलुराम, खेराजराम, घमाराम, मूलाराम पि0 चौथाराम 1/4 हिस्सा अनुसार रेकर्ड दुरस्ती का आदेश पारित कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र मे अपीलांटगणो के अंगुठा निशान दर्ज है और उनके द्वारा सहमति पत्र भी दिया गया है । इस संबंध मे अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पों0गण ने राजस्व कर्मचारियो

से मिलीभगत कर फर्जी एवं कूटरचित कुर्सीनामा/वंशावली तैयार की जाकर तथा उस पर अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठा निशान कर प्रस्तुत किये जाकर उक्त दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया । इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये कुर्सीनामा/वंशावली पर अपीलांटगण के अंगुठा निशान व हस्ताक्षर कूटरचित है अथवा नही, इसके संबंध मे किसी प्रकार की फाईंडिंग देने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है ।

प्रकरण मे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज तत्समय प्रस्तुत किया जाना पत्रावली पर नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सेटलमेंट से पूर्व अपीलांटगण अथवा उनके पिता के नाम अपीलाधीन भूमि मे 1/4 हिस्सा दर्ज था, जो वक्त सेटलमेंट त्रुटिवशः 1/2 दर्ज हो गया हो । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र मे स्वयं आवेदनकर्ताओ द्वारा वक्त सेटलमेंट से 1/2 हिस्सा अपीलांटगण के नाम दर्ज होने का उल्लेख किया है।

ऐसी स्थिति मे बिना किसी विधिक दस्तावेज के भूमि के हिस्से का हस्तांतरण किया जाकर हिस्से मे कमी बेशी किया जाना उचित नही माना जा सकता है । वंशावली एवं वंश परम्परा के संदर्भ मे भी अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य सबूत लिया जाना अपेक्षित था, जबकि बिना किसी विधिक प्रकिया के सेटलमेंट से चले आ रहे इन्द्राज मे परिवर्तन कर हिस्से मे कमी बढोतरी किया जाना नियमानुकुल नही है ।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेखो के अवलोकन करने पर खतौनी बंदोबस्त ग्राम घेवडा संवत 2011 से 2030 मे चोथिया वल्द हेमा का 1/2 हिस्सा दर्ज है इसीप्रकार जमाबंदी ग्राम घेवडा संवत 2015–2018 एवं जमाबंदी संवत 2019 से 2022 मे भी चोथीया वल्द हेमा का 1/2 हिस्सा दर्ज है अथार्त उक्त इन्द्राजो से यह भी प्रकट होता है कि चोथीया के पिता का नाम हेमा था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये कुर्सीनामें मे चौथाराम को मलूराम का पुत्र गलत दर्शाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश किस प्रावधान के तहत पारित किया है यह स्पष्ट उल्लेख नही है । यदि अपीलाधीन आदेश धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान के तहत पारित किया गया है तो रेकर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही था जिससे यह प्रकट हो कि राजस्व रेकर्ड मे पहले चौथा का 1/4 हिस्सा दर्ज था जो त्रुटिवशः 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया हो, जिसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया गया हो । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अंदर मयाद सुमार करते हुए स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/85 दिनांक 18–3–85 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रकरण मे सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के पश्चात के समस्त राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करे जिसमे दर्ज खातेदारो के नामो एवं उनके हिस्से की जांच करे तथा खातेदार मलू एवं हेमा के वारिसान की जांच कर अपीलांट एवं रेस्पो0गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिक प्रावधानो के तहत विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 9–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर